शीर्ष प्राथमिकता/ईमेल/फैक्स

संख्या–740/6–पु0–10–2015–27(90)/2010–टी0सी0

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 28 अप्रैल, 2015

विषयः– आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 में अन्य पिछड़े वर्ग के नान क्रीमीलेयर हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गमन में आ रही तकनीकी कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी एवं समकक्ष पदों की कुल 41610 पदों पर सीधी भर्ती हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिनांक 14.05.2013 एवं 20.06.2013 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण–पत्र दिनांक 01.04.2012 से 20.08.2013 के मध्य सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने की अनिवार्यता अंकित की गई थी। उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र आनलाईन एवं आफलाईन (मैनुअल) द्वारा मांगे गये थे। यह प्रकिया विगत दो वर्षो से प्रचलित है। प्रकरण में आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य नहीं था। जाति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा कट आफ डेट से तीन पूर्व वर्षो की औसत वार्षिक आय के आधार पर निर्गत किये जाते हैं जो कि विज्ञापन की तिथि को रू0–5–00 लाख निर्धारित थी। दिनांक 29.1.2014 द्वारा यह सीमा बढ़ाकर रू0–8–00 लाख कर दी गयी है।

2– इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि इन अभ्यर्थीगणों को वर्ष 2013 में आवेदन पत्र भरने के उपरान्त प्रारम्भिक लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा में सफल होने तथा मेरिट में आने के पश्चात अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाया गया है।

3– पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 14.5.2013 एवं 20.6.2013 में "अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये नान क्रीमीलेयर से सम्बन्धित जाति प्रमाण–पत्र प्रारूप–2 पर दिनांक 01.4.2012 एवं उसके बाद आवेदन करने की तिथि तक निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है", का उल्लेख किया गया था तथा विज्ञापन की तिथि को अन्य पिछड़े वर्ग के नान क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों हेतु वार्षिक आय सीमा रू0–5–00 लाख निर्धारित थी। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अन्य पिछड़े वर्ग के नान क्रीमीलेयर के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में उक्त अवधि के पूर्व या उसके पश्चात की अवधि (अद्यतन) में निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिसके कारण उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन में कठिनाई आ रही है।

4— आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती—2013 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 14.5.2013 एवं 20.6.2013 में अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये नान कीमीलेयर से सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप—2 संलग्न करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गमन में आ रही तकनीकी कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 01.4.2012 से 20.8.2013 की निर्धारित अवधि के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग नान कीमीलेयर होने का प्रमाण पत्र तत्समय प्रचलित नियमों/प्राविधानों के अनुरूप यदि वर्तमान में भी जारी किया जाता है तो उन्हें स्वीकार करते हुए प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाय।

5— यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्राविधान आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती—2013 के सम्बन्ध में ही लागू होंगे तथा इन्हें अन्य मामलों में दृष्टान्तस्वरूप नहीं माना जाएगा।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक—यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :—

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) सदस्य सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या—दिनांक 10.4.2015 के संदर्भ में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

प्रारूप–2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र
"केवल आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 के लिये ही मान्य"

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी........................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.........................निवासी ग्राम...............तहसील..................नगर....................जिला...............उत्तर प्रदेश राज्य की............................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता–पिता की दिनांक 20.08.2013 के पूर्ववर्ती निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पांच लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी...............................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.......................तहसील.......................नगर...................जिला.......................में सामान्यतः रहता है।

स्थान..............................
दिनांक..............................

हस्ताक्षर..........................
पूरा नाम..........................
पदनाम..........................
मुहर..........................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार